

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
(सामान्य न्यायालय)

१६/१०५.

वाद सं— एम०— 48/2024—25

वाद का प्रकार— धारा— 126 भा०ना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, कुरुमगढ़ थाना) —बनाम— अनिल बरला वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं— 21/2024 एवं
कुरुमगढ़ थाना अप्राथमिकी काण्ड सं— 05/2024 दिनांक— 19.03.2024 से प्राप्त
प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की
कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. अनिल बरला, पिता— बेंजामिन बरला, पता— कुरुमगढ़
2. प्रविण उराँव, पिता— एडवर्ड उराँव, पता— सिबिल, दोनों थाना— कुरुमगढ़, जिला— गुमला को
विधान सभा निर्वाचन, 2024 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत
किया गया। तदआलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित
राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का
परिणाम दिनांक— 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आर्दश आचार संहिता का
भी समापन हो गया है। थाना प्रभारी, कुरुमगढ़ से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त
नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशाधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।